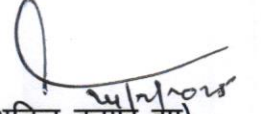


आ दे श

ईखायुक्त, बिहार के द्वारा योजनाओं के प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक-14.02.2025 से 18.02.2025 तक विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों में किये गये भ्रमण के क्रम में विभागीय एवं चीनी मिल पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम एवं गन्ना यंत्रिकरण योजना के कार्यान्वयन में केन केयर पोर्टल पर आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया था। जिसके निराकरण हेतु निम्न मार्गदर्शन दिया जा रहा है-

क्र०सं०	समस्या	मार्गदर्शन
1.	1. गन्ना यंत्रिकरण योजनांतर्गत निर्गत स्वीकृति आदेश में आवेदक को स्वीकृति आदेश के निर्गत किये जाने के 30 दिनों के अन्दर यंत्र क्रय की अनिवार्यता है तथा निर्धारित समय में यंत्र क्रय नहीं करने पर स्वीकृति आदेश स्वतः रद्द समझा जाय अंकित है। 2. इस योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा पहली बार किया जा रहा है। जिस कारण यंत्र एवं राज्य में डीलर की उपलब्धता में समय लग रहा है।	समीक्षोपरान्त समस्या के निराकरण हेतु इस पत्र के निर्गत होने की तिथि तक पूर्व निर्गत सभी स्वीकृति आदेश की वैधता 45 दिनों तक होगी।
2.	मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं गन्ना यंत्रिकरण योजना अंतर्गत कुछ आवेदक किसानों द्वारा DBT पोर्टल पर अंकित बैंक खाता के स्थान पर दूसरा बैंक खाता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। कुछ किसानों द्वारा सूचना दी जा रही है कि उनके द्वारा DBT पोर्टल पर अंकित बैंक खाता का उपयोग तत्काल नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को किस बैंक खाता में अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा पर मार्गदर्शन अपेक्षित है।	इस स्थिति में किसान द्वारा DBT पोर्टल पर जाकर बैंक खाता में सुधार करने की आवश्यकता होगी एवं अगर आवेदक द्वारा DBT पोर्टल पर बैंक खाता सुधार किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। अतएव कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाकर पंजीकरण भाग में जाकर किसान सुधार हेतु अनुरोध कर देंगे। तदोपरान्त आवेदक किसान द्वारा किस बैंक खाता में अनुदान की राशि प्राप्त किया जायेगा के लिए किसान द्वारा स्व-घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा, जिसमें DBT पोर्टल पर बैंक खाता सुधार हेतु किए गए आवेदन के उपरांत प्राप्त पावती रसीद की छायाप्रति संलग्न

		किया जाएगा। स्व-घोषणा पत्र का प्रपत्र अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। तदालोक में उनके द्वारा घोषित बैंक खाते में ही अनुदान भुगतान किया जाएगा। अगर राशि के भुगतान में बैंक खाता के संबंध में कोई अनियमितता पायी गई तो इसकी जवाबदेही स्वयं किसान की होगी।
--	--	--

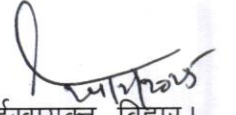

 (अनिल कुमार झा)
 ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-16272/2022 250/ईका

पटना, दिनांक- 24. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, रीगा एवं प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

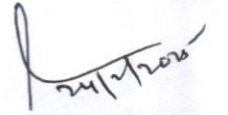
2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-16272/2022 250/ईका

पटना, दिनांक- 24. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।

अनुसूची - 1

स्व-घोषणा पत्र

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,।

मैं पिता/पति
ग्राम (थाना नं० सहित)-..... पंचायत-.....
..... अंचल-..... जिला-..... मोबाईल नं०-.....
..... जो वित्तीय वर्ष में ☐ मुख्यमंत्री गन्ना
विकास योजना / ☐ गन्ना यंत्रिकरण योजना (संबंधित में ✓ चिन्ह लगाये) के तहत केन केयर
पोर्टल पर अपना आवेदन किया हूँ। केन केयर पोर्टल द्वारा जारी पंजीकरण संख्या-
..... है।

आवेदन में अंकित बैंक खाता का उपयोग मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसे में मुझे
अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान मेरे बैंक खाता संख्या
बैंक का नाम- शाखा-
IFSC कोड में किया जाया मेरे द्वारा बैंक खाता में सुधार हेतु
कृषि विभाग, बिहार के डी०बी०टी० पोर्टल पर किये गये आवेदन के उपरांत प्राप्त पावती रसीद की
छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

अगर अनुदान राशि भुगतान में बैंक खाता के संबंध में कोई अनियमितता पायी गई तो इसकी जवाबदेही
स्वयं किसान की होगी। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी सही है तथा दी गई उपरोक्त जानकारी में किसी
प्रकार की गलती पाये जाने पर गन्ना उद्योग विभाग, बिहार मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी।

किसान (आवेदक) का नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि

for